

अध्याय 2

सामान्य

3. लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी हैं जिन्हें संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संघ और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा करना नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य विधानमंडल द्वारा बनायी गई विधियों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सरकारी कम्पनियों और निगमों और निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा पर भी लागू होते हैं।

4. लेखापरीक्षा के व्यापक उद्देश्य

लेखापरीक्षा के व्यापक उद्देश्य मुख्यतः निम्नलिखित के मूल्यांकन के माध्यम से वित्तीय प्रबन्धन और लोक प्रशासन की वैधता, नियमितता, मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता को सुनिश्चित करना है कि:-

- (1) क्या वित्तीय विवरण सही प्रकार से तैयार किए गए हैं, हर प्रकार से पूर्ण हैं और पर्याप्त प्रकटन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं (वित्तीय लेखापरीक्षा);
- (2) क्या संविधान के प्रावधानों, लागू विधियों, उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है (अनुपालन लेखापरीक्षा); और
- (3) वह स्तर जिस पर कार्यकलाप, कार्यक्रम अथवा संगठन मितव्ययी ढंग से, दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रचालन करता है (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

5. सभी लेखापरीक्षाओं का अधिदेश, विनियमों आदि के अनुसार किया जाना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से की जाने वाली सभी लेखापरीक्षाएं भारत के संविधान और अधिनियम के अनुसार होगी। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए ये विनियम, स्थायी आदेश, मार्गनिर्देश और प्रैक्टिस नोट्स ऐसी लेखापरीक्षा करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे।

6. लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्राधिकार

अधिनियम की धारा 2 (ई) के साथ पठित धारा 18 के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह:

- (क) संघ के या किसी राज्य के अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करें;
- (ख) यह अपेक्षा करें कि कोई लेखे, खाते, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज जो ऐसे संव्यवहारों के बारे में हो या उनका आधार हो या अन्यथा उनसे सुसंगत हों जिन तक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित उसके कर्तव्यों का विस्तार है, ऐसे स्थान पर भेज दिये जाएं जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करें; और
- (ग) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछें या ऐसी टीका-टिप्पणी करें जो वह ठीक समझें और ऐसी जानकारी मांगें जिसकी उन्हें किसी ऐसे लेखे या रिपोर्ट की तैयारी के लिये अपेक्षा हो जिसे तैयार करना उनका कर्तव्य है।

ऐसे कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति, जिसके लेखाओं का निरीक्षण या लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है, ऐसे निरीक्षण के लिये सभी सुविधायें देगा और जानकारी के लिये किये गये अनुरोधों को यथासंभव पूरे तौर पर समुचित शीघ्रता से पूरा करेगा।

7. प्रबन्ध समितियों में सहभागिता

लेखापरीक्षकों को साधारणतः प्रबन्ध समितियों का सदस्य नहीं बनना चाहिए और यदि लेखापरीक्षा परामर्श दिया जाना हो तो यह लेखापरीक्षा परामर्श अथवा सिफारिश के रूप में सूचित किया जाना चाहिए और इसकी अभिस्वीकृति स्पष्टतया इसी प्रकार दी जानी चाहिए।

8. लेखापरीक्षा द्वारा कतिपय मुद्दों पर परामर्श

लेखापरीक्षा को लेखाकरण मानकों और नीतियों तथा वित्तीय विवरणों के प्रारूप के मामले में कार्यकारी को सलाह देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

9. लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में कार्यकारी के पास मार्गनिर्देश की कोई शक्ति नहीं

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके लेखापरीक्षा अधिदेश के निष्पादन के सम्बन्ध में कार्यकारी को मार्गनिर्देश की कोई शक्ति नहीं है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यकारी के किन्हीं मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा करने, आशोधित करने अथवा लेखापरीक्षा करने से रोकने अथवा लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों को छिपाने अथवा संशोधित करने के लिए बाध्य नहीं हैं। तथापि, यह लेखापरीक्षा के लिए मामलों का प्रस्ताव करने के लिए कार्यकारी को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अनुरोध करने से प्रतिबाधित नहीं करता। इस सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का होगा।

10. बाह्य स्रोतों से विशिष्ट निपुणताओं का उपयोग करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक विशेष परिस्थितियों में और यदि इस प्रकार अपेक्षित हो तो लेखापरीक्षा अथवा लेखा सम्बन्धी कार्य करने में बाह्य स्रोतों से विशिष्ट निपुणताओं का उपयोग कर सकते हैं।

11. सभी मामलों में सामान्य अथवा आम विनियम लागू होना

सामान्य अथवा आम विनियम सभी मामलों में लागू होंगे परन्तु यह इन विनियमों में विशिष्ट अध्यायों में किए गए विशेष प्रावधानों के अधीन होंगे।